संख्या-43 / 2016-1611 / 58-2016-131 / 2016

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 17 जून 2016**

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-83 के अधीन आयोजनागत पक्ष में केन्द्र पोषित चालू योजना "राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन" योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अतिरिक्त धनराशि के अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-72-73/बजट-आयोजनागत/2016-17, दिनांक 31.05.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में केन्द्र पोषित चालू योजना "राज्य औद्यानिक मिशन" योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-61663 हजार के सापेक्ष अतिरिक्त धनराशि केन्द्रांश रू0-25164.6 हजार तथा राज्यांश रू0-16776.4 हजार अर्थात कुल रू0-41941 हजार (रूपये- चार करोड़ उन्नीस लाख इक्तालीस हजार) मात्र को अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान सं0-83 **(धनराशि हजार रूपये में)**

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**कोड सं0/मद का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान**	**पूर्व में अवमुक्त की जा चुकी धनराशि**	**वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें- 0108-राष्ट्रीय बागवानी मिशन (के.60/रा.40-के0+रा0)	27-सब्सिडी	53363	14722	38641
	42-अन्य व्यय	5000	693	-
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3300	-	3300
	योग-	**61663**	**15415**	**41941**

(रूपये- चार करोड़ उन्नीस लाख इक्तालीस मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि के आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र उनके द्वारा कोषागार में धनराशि आहरित करने से पूर्व दिया जायेगा। तदोपरान्त धनराशि आहरित की जायेगी।

(2) केन्द्रीय योजनाओं को ट्रेजरी के माध्यम से चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप संदर्भित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा गत वर्ष संशोधित नवीन पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश व राज्यांश के क्रमश: 60:40 प्रतिशत के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनराशि व्यय की जायेगी। अतएव भारत सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन तथा केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति निर्गत हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आहरण की कार्यवाही की जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का 50% धनराशि प्रथम किश्त के रूप में आहरित करेंगे तथा आहरित धनराशि का नियमानुसार 75% व्यय होने के उपरान्त ही शेष 50% धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में आहरित करना सुनिश्चित करेंगे।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष केन्द्रांश/राज्यांश का समायोजन किया जायेगा।

(6) प्रस्तर-1 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का व्यय, राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य औद्यानिक मिशन/जिला औद्यानिक मिशन नियमावली में निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.3.2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का व्यय जनपदवार भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित नवीन फन्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही भारत सरकार से अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(9) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(11) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियंत्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(12) भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) यदि विभाग द्वारा भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है, तो उसके लिए निदेशक, उद्यान/मिशन उद्यान तथा वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान सीधे उत्तरदायी होंगे।

(15) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तारीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

(16) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथासमय समर्पित की जायेगी।

(17) वित्त लेखा अनु0-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

(18) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0108-राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.3.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

<u>संख्या-43/2016-1611(1)/58-2016, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0शासन।
(8) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in